

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 236 वीं बैठक दिनांक 28.06.2016 को अपरान्ह 12.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
2. श्री आ.पी.बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
3. श्री नीरज तिवाड़ी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री बी.डी जाट, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्री आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (मास्टर प्लान)
3. श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (बीपीसी ले आउट प्लान)
4. श्री नवल किशोर बैरवा उपायुक्त जोन - 2,13,13ए
5. श्री भागीरथ हावा उपायुक्त जोन - 8
6. श्री राजकुमार सिंह उपायुक्त जोन - 11, 12 बी
7. श्री रामलाल गुर्जर उपायुक्त जोन - 14
8. श्री महेन्द्र सिंह राठौड उपायुक्त जोन - 18
9. श्रीमती कनक जैन तहसीलदार - 7
10. श्रीमती उषा जैन सलाहकार जनसम्पर्क
11. सहायक नगर नियोजक जोन - 7, 11, 12 बी, व मास्टर प्लान

एजेण्डा संख्या:-1

236/28.06.2016

विषय:-बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 235 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण एवम कार्यवाही विवरण संशोधन पत्र जारी दिनांक 11-5-2016 की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-4)

236/28.06.2016

विषय:- न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.समिति की योजना सिद्धार्थ नगर-ए के भूखण्ड संख्या ए-631, ए-635, ए-654, ए-655, ए-656, ए-657, ए-658, ए-659, ए-660 व ए-661 का पुर्नगठन करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्डों का प्रस्तावित पुर्नगठन पारिवारिक खून के रिश्ते के सदस्यों में नहीं है तथा भूखण्ड धारीगों द्वारा निष्पादित सहमति पत्र अपजीकृत दस्तावज ह। अतः नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19-02-2010 की पालना में भूखण्डधारकों/हितधारको से प्रमाण सहित आपत्ति -सुझाव सात दिवस की कालावधि में आमंत्रित करने हेतु प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जावे, जिसका व्यय आवेदको द्वारा वहन किया जावे। इसके पश्चात प्रकरण समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

CM

एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-7)

236/28.06.2016

विषय:- निजी खातेदारी की योजना वैशाली एस्टेट-ए के भूखण्ड संख्या जीएच ए-125 के उप विभाजन के सम्बन्ध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित उपविभाजन स्वीकृत किया गया। प्रकरण 1500 वर्गगत से अधिक क्षेत्र का है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। भूखण्ड संख्या एच व आई के दक्षिण की ओर नियमानुसार साइड सैटबैक दिया जावे। प्रकरण में नियमानुसार उपविभाजन शुल्क जमा करवाया जावे।

एजेण्डा संख्या:-4 (जोन-7)

236/28.06.2016

विषय:- नेशनल हा.को. सोसायटी लिमिटेड की योजना अंमर नगर स्कीम नं. 5, सिरसी रोड़, जयपुर के भूखण्ड सं. 5, 6, 11 व 12 के पुनर्गठन कराने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्डों का प्रस्तावित पुनर्गठन पारिवारिक खून के रिश्ते के सदस्यों में नहीं है तथा भूखण्ड धारियों द्वारा निष्पादित सहमति पत्र अपंजीकृत दस्तावेज है। अतः नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19-02-2010 की पालना में भूखण्डधारकों/हितधारको से प्रमाण सहित आपत्ति -सुझाव सात दिवस की कालावधि में आमंत्रित करने हेतु प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जावे, जिसका व्यय आवेदको द्वारा वहन किया जावे। इसके पश्चात प्रकरण समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे

एजेण्डा संख्या:-5 (जोन-8)

236/28.06.2016

विषय:- निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना राधानिकुंज बी पार्किंग/सुविधा क्षेत्र की भूमि का एण्डयूज परिवर्तन कर पार्क हेतु उपलब्ध करवाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में सुविधा/पार्किंग हेतु दर्शाये गये क्षेत्र को यथावत सुविधा पार्किंग हेतु रखा जावे।



एजेण्डा संख्या:-6 (जोन-11)

236/28.06.2016

विषय:- निजी खातेदारी/विकासकर्ता " श्री कृष्णा विहार-I " का संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में हाइटेंशन लाइन के सहारे अनुमोदित समस्त योजनाओं का मौके से सर्वे कर सैक्टर प्लान में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे ताकि पूरे सैक्टर में एकरूपता बनी रह सके।

एजेण्डा संख्या:-7 (जोन-11)

236/28.06.2016

विषय:- मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि. जरिये निदेशक श्री रामबाबू अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल के द्वारा निजी खातेदारी की योजना ग्रुप हाउसिंग (एकल पट्टा) का उप विभाजन करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित उपविभाजन का अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित उपविभाजन 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण किया जावे। प्रकरण में नियमानुसार उपविभाजन शुल्क जमा करवाया जावे।

एजेण्डा संख्या:-8 (जोन-12बी)

236/28.06.2016

विषय:- ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 818 रकबा 0.80 हैक्टेयर में से 5000 वर्ग मीटर भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गतिविधि अनुज्ञेय किये जाने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम चिकित्सा एवम स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तावित स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने - चलाने बाबत सहमति प्राप्त की जावे। तत्पश्चात पुनः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।



एजेण्डा संख्या:-9 (जोन-12बी)

236 / 28.06.2016

विषय:- सन सिटी आवासीय योजना के सम्बन्ध में बी.पी.सी. (एल.पी.) की 231वीं बैठक दिनांक 09.10.2015 व 233वीं बैठक दिनांक 02.02.2016 की अनुपालना में योजना अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विपरीत कर निर्णय लिया गया कि योजना क्षेत्र में मास्टर विकास योजना की 48 मीटर की दो व 30 मीटर की दो सड़कें प्रस्तावित हैं जिनका संशोधित मानचित्र में समायोजन नहीं किया गया है। योजना वर्ष 2007 व 2008 में अनुमोदित है तथा योजना के अधिकांश भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं ; जिसमें संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। योजना में नया क्षेत्र खसरा नं. 1685 जोड़ा गया है। अतः मास्टर विकास योजना 2025 की सड़कों का समुचित समायोजन करते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र लिया जावे तथा जोन स्तर से व मास्टर विकास शाखा के स्तर से पूर्ण जांच की जाकर प्रकरण पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-10 (जोन-13)

236 / 28.06.2016

विषय:- राजस्व ग्राम-अचरोल, तहसील-आमेर की 3.3800 हैक्टेयर भूमि पर रिसोर्ट प्रयोजनार्थ

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मास्टर विकास योजना 2025 डी पी सी आर वाल्यूम 4 के क्लॉज 10.11 के क्रम में खसरा नं. 46 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जबकि मास्टर विकास योजना 2025 में नदी/नाला दर्शाया हुआ है। मौके पर सी.सी सड़क निर्मित है। अतः प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों व राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प 3 (43) नवि/3/2009 पार्ट दिनांक 08-02-2016 की पालना करते हुए सक्षम स्तर से निर्णय लिया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार प्रकृति के प्रकरणों का निस्तारण मास्टर प्लान प्रकोष्ठ के स्तर से किया जावे।



एजेण्डा संख्या:-11 (जोन-13)

236 / 28.06.2016

विषय:- राजस्व ग्राम-बीलपुर, तहसील- आमेर के 3.1055 हेक्टेयर पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही हेतु।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मास्टर विकास योजना 2025 डी पी सी आर वाल्यूम 4 के क्लाज 10.11 के क्रम में खसरा नं. 46 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जबकि मास्टर विकास योजना 2025 में नदी/नाला दर्शाया हुआ है। मौके पर भूमि को अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे से आवागमन उपलब्ध है। फार्म हाउस भूखण्डों तक आवागमन हेतु न्यूनतम 18 मीटर सड़क मार्ग आवश्यक है अतः आवेदक से संशोधित मानचित्र लिया जावे। प्रकरण पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-12 (जोन-14)

236 / 28.06.2016

विषय:- मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना सचिवालय नगर, ग्राम सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के सुविधा क्षेत्र का पार्क हेतु एण्डयूज निर्धारण करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज End Use पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पार्क उद्यान शाखा के स्तर से विकसित किये जाने हेतु उपायुक्त जोन के स्तर से सुनिश्चित किया जावे।

एजेण्डा संख्या:- 13

236 / 28.06.2016 (मा.प्लान)

विषय:- पूर्व में अनुमोदित सेक्टर प्लान-31 में संशोधन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के तथ्य अनुसार सेक्टर प्लान व मास्टर प्लान-2025 की सड़को को सुपर इम्पोज करने पर दोनों एक स्थान पर मेल नहीं खाती है, जबकि मौके पर विद्यमान सड़के व जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजनाएँ लगभग मेल खाती हैं।

उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर समिति द्वारा गहन विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव अनुसार प्रारूप सेक्टर प्लान पर आम जनता से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जायें।



विषय:- प्रारूप सेक्टर प्लान-69 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा प्रारूप सेक्टर प्लान-69 में एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. प्रारूप सेक्टर प्लान-69 पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण हेतु गठित कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार आपत्तियों को खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. प्रार्थी श्री मनोहर तिवाड़ी के सुझाव अनुसार प्रारूप सेक्टर प्लान में दर्शित रास्ते के मध्य बिन्दु से 60फीट रोड़ निकाले जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. प्रारूप सेक्टर प्लान की 18 मीटर सड़क की चौड़ाई को जविप्रा की पुर्नवास आवासीय योजना पालड़ी मीणा के M ब्लॉक में 30 मीटर सड़क दर्शाई है, जिसके अनुसार 18 मीटर सड़क को 30 मीटर किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उक्त स्कीम के F ब्लॉक के दक्षिण में दर्शाई गई 18 मीटर सड़क को (बिन्दु e से e1 तक) सेक्टर प्लान में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।
4. प्रारूप सेक्टर प्लान की 18 मीटर व मास्टर प्लान की 24 मीटर सड़क (उत्तर से दक्षिण) द्वारा जविप्रा की पुर्नवास आवासीय योजना, पालड़ी मीणा के F,G,H,K,L ब्लॉक क्रमशः (बिन्दु a से a1 तक), (बिन्दु b से b1 तक) व (बिन्दु c से c1 तक) प्रभावीत होते है। उक्त ब्लॉको में से कुछ ब्लॉको F, H का आंशिक निर्माण हो चुका है एवं अन्य ब्लॉक की भूमि रिक्त है। जोन द्वारा अवगत कराया गया कि G,K,L ब्लॉको मे न्यायिक विवाद लंबित है। प्रश्नगत सड़को के संबंध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। अतः प्रारूप सेक्टर में दर्शाई सड़को को यथावत रखते हुए पुर्नवास आवासीय योजना का प्रश्नगत भाग जो न्यायिक विवाद से संबंधित है, न्यायिक विवाद का निस्तारण हो जाने के पश्चात संशोधित पुर्नवास आवासीय योजना के अनुसार सड़के प्रस्तावित की जावे।
5. जोन द्वारा दिये गये कमिटमेंट के अनुसार सेक्टर प्लान में 18 मीटर सड़क बिन्दु d से d1 तक प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रारूप सेक्टर प्लान-69 में एच.टी.लाईन/एल.टी.लाईन/गैस पाईप लाईन/ऑयल पाईप लाईन की स्थिति अंकित नहीं की है। अतः जोन में प्राप्त प्रकरणों में एच.टी.लाईन/एल.टी. लाईन/गैस पाईप लाईन/ऑयल पाईप लाईन में नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा सेक्टर प्लान-69 के अंतिम अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या:- 15

236/28.06.2016 (मा.प्लान)

विषय:- प्रारूप सेक्टर प्लान-71 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रारूप सेक्टर प्लान-71 के एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया एवं प्रारूप सेक्टर प्लान-71 पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण हेतु गठित कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. आपत्ति/सुझाव संख्या-1,2,6,7,8,9,10 से 13:- पर विचार विमर्श पश्चात सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़को को ही अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. आपत्ति/सुझाव संख्या-3, 4 :- में दिये गये सुझावों को स्वीकार कर सुझाव अनुसार ऐतिहासिक व सार्वजनिक स्थानों यथा: राजकीय स्कूल, राजकीय अस्पताल, मंदिर व ईमारतों को सेक्टर प्लान में दर्शाये जाने व मौके पर प्रारूप सेक्टर सड़को की लोकेशन के संदर्भ में मौके पर सेक्टर सड़को को चिन्हीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. आपत्ति/सुझाव संख्या-5 :- में दिये गये तथ्यों के मध्येनजर सेक्टर प्लान अनुसार ही रोड़ प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. आपत्ति/सुझाव संख्या-14 से 18 :- के क्रम में कालवाड़ रोड़ के उत्तरी ओर की समानान्तर 30 मीटर सड़क के 90 डिग्री धुमाव को समाप्त कर प्रस्तावित 30 मीटर व 18 मीटर (उत्तर-दक्षिण) सड़क के मध्य सीधा मिलाने का निर्णय लिया गया।
5. आपत्ति/सुझाव संख्या-19 :- समिति द्वारा विचार विमर्श अनुसार चूंकि कालवाड़ रोड़ पर नेशनल हाईवे की भूमि है व मौके पर सड़क निर्मित है। अतः विद्यमान कालवाड़ रोड़ को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।
6. आपत्ति/सुझाव संख्या-20, 21 से 24 :- रिंग रोड़ का भाग होने के कारण खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
7. आपत्ति/सुझाव संख्या-25 व 26 :- उक्त आपत्ति/सुझाव को खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रारूप सेक्टर प्लान-71 में एच.टी.लाईन/एल.टी.लाईन/गैस पाईप लाईन/ऑयल पाईप लाईन की स्थिति अंकित नहीं की है। अतः जोन में प्राप्त प्रकरणों में एच.टी.लाईन/एल.टी.लाईन/गैस पाईप लाईन/ऑयल पाईप लाईन में नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा सेक्टर प्लान-71 के अंतिम अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या:- 16

236/28.06.2016 (मा.प्लान)

विषय:- प्रारूप सेक्टर प्लान-72 के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया है कि प्रारूप सेक्टर प्लान-72 के क्षेत्राधिकार में संबंधित जोनों द्वारा किये गये सभी कमिटमेंट्स को मास्टर प्लान शाखा को उपलब्ध कराये, ताकि उक्त कमिटमेंट्स के अनुसार प्रारूप सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़को में कोई विरोधाभास ना हो। उक्त कार्यवाही पश्चात ही प्रारूप सेक्टर प्लान को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:- 1

236/28.06.2016 (मा.प्लान)

विषय:- अनुमोदित जोनल विकास योजना-3 में अजमेर रोड़ की चौड़ाई दो अलग-अलग भागों में अंकित किये जाने हेतु संशोधन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा में दिये गये प्रस्ताव अनुसार जोनल विकास योजना-3 के मानचित्र में अजमेर रोड़ की चौड़ाई मास्टर विकास योजना-2025 के भाग-2 की तालिका 2_3 के अनुसार न्यू सांगानेर रोड़ से अमानीशाह नाले तक 160फीट (48मीटर) व अमानीशाह नाले से किंग्स रोड़ तक 200फीट (60मीटर) दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2

236/28.06.2016 (मास्टर प्लान)

विषय:- आवासीय योजना सुखिजा विहार एवं सुखिजा विहार-सी स्थित चौपड़ा फार्म, ग्राम चकगणपतपुरा-प्रथम, तहसील सांगानेर के बीच स्थित 60 फीट सेक्टर रोड़ हेतु मौजूदा रोड़ के दोनों तरफ से समान जमीन लेकर नक्शों में रोड़ अलाईनमेंट सही किये जाने बाबत।


समिति के समक्ष उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि आवासीय योजना सुखिजा विहार एवं सुखिजा विहार-सी स्थित चौपड़ा फार्म, ग्राम चकगणपतपुरा-प्रथम, तहसील सांगानेर के बीच 60 फीट सेक्टर रोड़ का अलाईनमेंट बीपीसी (एल.पी.) की बैठक दिनांक 02.08.2013 में अनुमोदित किये गये इन्टीग्रेटेड प्लान अनुसार यथावत रखा जावे।



236/28.06.2016 (मास्टर प्लान)

विषय:- रिंग रोड परियोजना से लगती हुई भूमि में से 10 मीटर सर्विस रोड लिए जाने वाले नियम की उपलब्धता के संबंध में।

जोन द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया कि जविप्रा द्वारा बनायी गई दक्षिणी रिंग रोड परियोजना में पी.ए.पी. क्षेत्र में की गई प्लानिंग के अनुसार पी.ए.पी. क्षेत्र के बाहर की ओर 20 मीटर की सड़क दर्शित है। रिंग रोड से लगती हुई भूमि में एकल पट्टे व योजनाओं के अनुमादन के समय जोन द्वारा 10मीटर रोड हेतु भूमि लेते हुए प्रकरणों के अनुमादन की कार्यवाही की जाती है जिससे पी.ए.पी. क्षेत्र की 20 मीटर रोड को सम्मिलित करते हुए कुल 30 मीटर RoW प्राप्त हो सके एवं यातायात के सुगम संचालन हेतु 30 मीटर की सड़क अजमेर रोड से (याचक फागी रोड, टॉक रोड) आगरा रोड तक उपलब्ध हो सके। किन्तु इस संबंध में जविप्रा द्वारा कोई भी आदेश प्राप्त नहीं है। अतः समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर निर्णय लिया गया कि रिंग रोड पी.ए.पी. क्षेत्र के बाहरी ओर 20 मीटर सड़क के साथ लगते हुए प्रकरणों में 10 मीटर सर्विस रोड हेतु भूमि लेते हुए एकल पट्टे व निजी खातेदारी योजनाओं के अनुमादन की कार्यवाही की जावे एवं इस संबंध में सचिव, जविप्रा स्तर पर भी आदेश जारी करवाये जाये ताकि जिन जोनों में रिंग रोड आ रही है, उनके प्रकरणों के निष्पादन में समरूपता रहे।


04/7/16


सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2016 /डी-88 दिनांक 04/07/2016

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

- 1 निजी सचिव, आयुक्त महोदय
- 2 निजी सचिव, सचिव, महोदय
- 3 निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना)
- 4 अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम /पीआरएन/एल पी सी/भूमि)
- 5 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.)
- 6 उपायुक्त जोन 1 से 19
- 7 विशेषाधिकारी जनसम्पर्क
- 8 सिस्टम एनालिस्ट
- 9 उप निरीक्षक सहकारिता


04/07/2016

वरिष्ठ नगर नियोजक

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)